रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2010/कार्तिक 24, 1932

No. 632] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2010/KARTIKA 24, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 914(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

   (2) ये 6 दिसम्बर, 2010 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के उपाबंध में, प्ररूप 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 10

[नियम 10(9) देखें]

अभिहित भागीदारों द्वारा विवरण में परिवर्तनों की सूचना

टिप्पण : *चिन्हांकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है ।

1. *अभिहित भागीदार पहचान संख्यांक (डीपीआईएन).. पूर्व भरा गया

2. अभिहित भागीदार का नाम

....

3. *कृपया परिवर्तन किए जाने वाली विशिष्टियों की पहचान करें और टिक करें ।

   आवेदक का नाम

   पिता/पति का नाम

   राष्ट्रीयता

   निवासिता

   जन्म की तारीख

   लिंग

   आयकर स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

   मतदाता पहचान पत्र संख्यांक

   पासपोर्ट संख्या

   ड्राइविंग लाइसेंस संख्यांक

   निवास स्थान का पता

   अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

4. *कृपया परिवर्तन किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टयों को भरें

   (i) आवेदक का नाम (पूरा नाम प्रविष्ट करें और संक्षेपाक्षरों का प्रयोग न करें) ....

   (ii) पिता .... पति का नाम ....

   (iii) क्या भारत का निवासी है हां .... नहीं ....

   (iv) राष्ट्रीयता ....

(v) जन्म की तारीख .... (तारीख/मास/वर्ष)

(vi) लिंग.....................

(vii) आयकर स्थायी खाता संख्यांक (पैन)..........................

(viii) मतदाता पहचान पत्र संख्यांक........................

(ix)पासपोर्ट संख्या..........................

(x) ड्राइवर लाइसेंस संख्यांक

(xi) स्थायी आवासीय पता

*पंक्ति 1..

*पंक्ति 2..

*शहर.. जिला.........................

* राज्य .... *पिन कोड........................

* देश .... * आईएसओ देश कोड...........

* दूरभाष............................. फैक्स...........................

(एसटीडी कोड सहित)

मोबाइल नं0 * ईमेल आईडी.............

(xii) क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासी पता एक समान है हां.....
नहीं...........

यदि नहीं तो वर्तमान आवासीय पता

*पंक्ति 1..

*पंक्ति 2..

*शहर.. जिला.........................

* राज्य .... *पिन कोड........................

* देश ...., * आईएसओ देश कोड...........

* दूरभाष............................. फैक्स.............................

(एसटीडी कोड सहित)

मोबाइल नं0 * ईमेल आईडी.............

5. * पहचान और आवास का सबूत

फोटो और हस्ताक्षर सहित पहचान का सबूत
संलग्न किए गए दस्तावेजों पर सामने निशान लगाएं ।
(निम्नलिखित में से कोई प्रस्तुत करें)

पासपोर्ट
निर्वाचन (मतदाता पहचान कार्ड)

ड्राइविंग लाइसेंस
आयकर पैन कार्ड

निवास का सबूत

संलग्न किए गए दस्तावेजों पर सामने निशान लगाएं ।
(निम्नलिखित में से कोई प्रस्तुत करें)

पासपोर्ट
निर्वाचन (मतदाता पहचान कार्ड)
राशन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
बिजली का बिल
टेलीफोन बिल
बैंक खाता विवरण
अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें ।

....

संलग्नक *

संलग्नकों की सूची

(1) पहचान में परिवर्तनों का सबूत	संलग्न
(2) निवास स्थान में परिवर्तनों का सबूत	संलग्न
(3) फोटो	संलग्न
(4)वैकल्पिक संलग्नक	संलग्न

संलग्न हटाएं

कथन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.................................
निवासी...
..यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ और यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेज सही और पूर्ण हैं ।

*** अभिहित भागीदार द्वारा अंकीय हस्ताक्षर.................................** *
*** डीपीआईएन..........**
तारीख.......................
स्थान..........................

उपांतरित जांच प्ररूप प्रस्तुत

प्ररूप भरने के लिए साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत

1. आवेदक की पहचान, निवास स्थान के सबूत का अनुप्रमाणन/ प्रमाणन

(i) आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है --

(क) स्वयं की फोटो, जन्म की तारीख और पिता/पति के नाम अंतर्विष्ट करते हुए पहचान के सबूत की अनुप्रमाणित या प्रमाणित प्रति ; (ख) निवास स्थान के सबूत की अनुप्रमाणित या प्रमाणित प्रति ;

(ii) विदेशी राष्ट्रीयता की दशा में विधिमान्य पासपोर्ट की प्रति पहचान का सबूत होगी ।

(iii) यदि आवेदक किसी निगमित निकाय का नामनिदेशिती है तो निगमित निकाय के शीर्ष नामे पर संकल्प/प्राधिकार की प्रति जिसमें उसके निगमित किसी अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यष्टि का नाम और पता भी संलग्न होगा ।

2. अनुप्रमाणन /सत्यापन के लिए प्राधिकारी

(i) (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी

(ख)नोटरी पब्लिक

(ग) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, चार्टड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और लागत संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारण करने वाला कंपनी सचिव, चार्टड अकाउंटेट, लागत और संकर्म लेखापाल

(ii) भारत के बाहर निवास करने वाले विदेशी नागरिकों या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत विदेशी निगमित निकाय (निकायों) की दशा में ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट दस्तावेज सम्यक रूप से प्रमाणीकृत होंगे और इस प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी नियमों के नियम 34 के उपनियम (2) यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । (अनुदेश किट में नियम 34 के उपनियम 2 की प्रति उपलब्ध है)

3. अनुप्रमाणन/प्रमाणन प्राधिकारी की विशिष्टिया

अनुप्रमाणन प्राधिकारी को दस्तावेज अनुप्रमाणित करते समय निम्नलिखित उपदर्शित करना अनिवार्य होगा : (i) बड़े अक्षरों में अनुप्रमाणन प्राधिकारी का पूरा नाम (ii) रजिस्ट्रीकरण संख्या और (iii) मंत्रालय/विभाग का नाम जहां राजपत्रित अधिकारी नियोजित है । (iv) मुद्रा / मोहर

4. पहचान और निवास के सबूतों की भाषा

यदि पहचान का सबूत और निवास स्थान का सबूत हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है तो उसकी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवादित प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।

5. पिता/पति का नाम

यदि पहचान के सबूत में पिता/पति का नाम उपदर्शित नहीं किया गया है तो सम्यक रूप से प्रमाणित/अनुप्रमाणित पिता/पति के नाम का अतिरिक्त सबूत संलग्न किया जाना चाहिए ।

6. निवास स्थान का सबूत

यदि स्तंभ 3 (xi) और (xii) दिया गया पता भिन्न है तो कृपया दोनों पतों के लिए निवास स्थान का सबूत संलग्न करें । यह और कि यदि संलग्न किया गया पहचान का सबूत स्तंभ (xi) और (xii) में दिए गए पते के अनुरूप है तो निवास स्थान का पृथक सबूत संलग्न करना आवश्यक नहीं है ।

4422GI/10-2

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

ई - प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) : .... ई प्ररूप फाइल करने की तारीख........

यह ई-प्ररूप अनुमोदित किया जाता है.......................................

यह ई-प्ररूप निरस्त किया जाता है.......................................

प्राधिकरण अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर बी ओ को प्रस्तुत.......

हस्ताक्षर करने की तारीख.............

[फा. सं. 1/11/2010-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 229 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 24 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2010

G.S.R. 914(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely: –

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Second Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the 6th day of December, 2010.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009, in the Annexure, for Form 10, the following Form shall be substituted, namely:-

Form 10

[See rule 10(9)]

Intimation of changes in particulars by Designated Partners

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled

1. *Designated Partner Identification Number (DPIN) [ ] Pre-fill

2. Name of the Designated Partner:

[ ] [ ] [ ]

3. *Please identify and tick the particulars to be changed:

- ☐ Applicant's Name
- ☐ Father's / Husband's Name
- ☐ Nationality
- ☐ Residentship
- ☐ Date of birth
- ☐ Gender
- ☐ Income-tax permanent account number (PAN)
- ☐ Voter's identity card number
- ☐ Passport number
- ☐ Driving licence number
- ☐ Residential Address
- ☐ Other (please specify) [ ]

Affix a latest passport size photograph

4. *Please fill the Particulars required to be changed

(i). Applicant's name (enter full name and do not use abbreviations)

[ ] [ ] [ ]

(ii) ○ Father's ○ Husband's Name

[ ] [ ] [ ]

(iii). Whether resident in India ○ Yes ○ No

(iv). Nationality [ ]

(v). Date of Birth [ ] (DD/MM/YYYY)

(vi). Gender [ ]

(vii). Income-tax permanent account number (PAN) [ ]

(viii). Voter's Identity card number [ ]

(ix). Passport Number [ ]

(x). Driving licence number [ ]

4422 GI/10-3

(xi). Permanent Residential Address

*Line 1

*Line 2

*City | District

*State | *Pin Code

*Country | *ISO Country Code

*Phone (with STD code) | Fax

Mobile | *Email Id

(xii). Whether present residential address is same as the permanent residential address: ○ Yes ○ No

If no, present residential address

*Line 1

*Line 2

*City | District

*State | *Pin Code

*Country | *ISO Country Code

*Phone (with STD code) | Fax

Mobile | *Email Id

5. *Proof of identity and Residence

Proof of Identity along with photo and signature

Tick against the document being attached
(furnish any of the following)

- ☐ Passport
- ☐ Election (voter identity) card
- ☐ Driving licence
- ☐ Income-tax PAN card

Proof of residence

Tick against the document being attached
(furnish any of the following)

- ☐ Passport
- ☐ Election (voter identity) card
- ☐ Ration card
- ☐ Driving licence
- ☐ Electricity bill
- ☐ Telephone bill
- ☐ Bank account statement
- ☐ Others-Please specify

Attachments*

(1) Proof of changes in Identity
(2) Proof of changes in residence
(3) Photo
(4) Optional Attachment

Attach
Attach
Attach
Attach

List of attachments

Remove Attachment

Statement

I ☐ ○ Son ○ Daughter ○ Wife of ☐

resident of ☐

hereby declare and verify that the information given in this application and the documents enclosed is correct and complete.

***To be digitally signed by the Designated Partner** ☐ ***DPIN** ☐

Date: ☐

Place: ☐

Modify | Check Form | Submit

General Guidelines for filing Form

1. Attestation/Certification of proof of identity, residence of the applicant

(i) The applicant should attach (a) attested or certified copy of the proof of identity containing self-photograph, date of birth and father's/husband's name; (b) attested or certified copy of the proof of residence;
(ii) In case of a foreign national, a copy of the valid passport shall be proof of identity.
(iii) In case the applicant is nominee of a body corporate, a copy of resolution/authorization on the letterhead of the body corporate mentioning the name and address of an individual nominated to act as designated partner on its behalf shall also be attached.

2. Authorities for attestation/certification

(i) (a) Gazetted officer of the Central or State Government
(b) Notary Public
(c) Company Secretary, Charted Accountant, Cost and Works Accountant holding a certificate of practice under the Company Secretaries Act, 1980, Chartered Accountants Act, 1949, and the Cost and Works Accountants Act, 1959.

(ii) In the case of foreign nationals residing outside India or foreign body corporate(s) registered outside India, the documents referred in para 2 above, shall be duly ceritifed and the provisions of sub-rule(2) of rule 34 of Limited Liability Partnership rules shall apply mutatis mutandis for this purpose. (copy of sub-rule(2) of rule 34 is available in the instruction kit)

3. Particulars of the attesting/certifying authority

The attesting authority must indicate the following while attesting the documents: (i) Name in full in capitals of the attesting authority, (ii) Registration Number and (iii) Name of the ministry/department where the Gazatted officer is employeed, (iv) Seal/Stamp

4. Language of proofs for identity and residence

In case the proof of identity and proof of residence is in a language other than Hindi or English, a certified copy of translation of the same in Hindi or English shall be attached.

5. Father's/Husband's Name

In case the proof of identify does not indicate the father's/husband's name then additional proof of father's/husband's name, duly certified /attested, should be attached.

6. Proof of residence

In case the addresses given in column 3(xi) and (xii) are different, then please attach proof of residence for both the addresses. Further, in case proof of identity attached matches with the addresses given in column 3(xi) and (xii), then separate proof of residence need not be attached.

For Office use only

eForm Service Request Number (SRN): | eForm Filing Date:

○ This e-form is hereby approved

○ This e-form is hereby rejected

Digital Signature of the authorising officer

Submit to BO

Date of signing:

[F. No. 1/11/2010-CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 229 (E), dated the 1st April, 2009 and was last amended vide number G.S.R 24(E), dated the 11th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.